them to me and we shall take action against them.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Khurshed Alam Khan. Then, I will pass on to the next question.

(Interruptions)

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: Sir, I would like to know what the procedure is for the recruitment of the casual labourers, what procedure is adopted for giving them temporary status and when they are regularised, whether they have to appear before a Selection Board or they have to appear before the officers under whom they have worked and they take only the past service of these casual labourers for consideration.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, इसका जवाब मैं दे चुका हूं । चार महीने जो रेगुलर काम कर लेता है उसको टेम्परेरी स्टेटस दे देना चाहिए, अंडर दि रूल जिनको टेम्परेरी स्टेटस मिल जाता है, उनको सारी फेसिलिटीज वह मिल जाती हैं जो रेगुलर लेबर के पास होती है, तनख्वाह भी वही मिलने लगती है, जो रेगुलर की होती है और जो वैकेंसीज होती है, उन वैकेंसीज को फिल-अप करने के लिये ऐसे टेम्परेरी स्टेटस वाले जो कैजुअल लेबर्स है, उनमें से ही आदमी ले लिये जाते हैं । इसके लिये एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो स्क्रीन करती है और उसके बाद उसको रेगुलर करते हैं । अगर इसमें कहीं कोई शिकायत की बात हो तो मेरे पास लिख दें उसका नोटिस हम लेंगे और उस पर उचित कार्यवाही होगी ताकि ऐसा गलती आगे से न हुआ करे ।

SHRIMATI MONIKA DAS: Sir, one question...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. I am very sorry. So many I have over-ruled, including Mr. Piloo Mody.

(Interruptions)

SHRIMATI MONIKA DAS: Only one question I want to ask.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. I won't allow.

(Interruptions)

SHRIMATI MONIKA DAS: In South Central Railway there were 4000 employees, Class III and Class IV and casual labourers... *(Interruptions)* Many people were there for more than one year, or six months... *(Interruptions)* All of a sudden, they completely stopped all the four thousand, and... *(Interruptions)* Immediately, I sent a letter to the General Manager, South Central Railway, about this, but he did not reply. *(Interruptions)* May I know what is his reply to ...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am very sorry. This question will not be answered. Next question.

(Interruptions)

Labour problem at the Agro-chemicals plant at Goa

*243. SHRI RAMANAND YADAV:†
SHRI BHAGATRAM MANHAR:
SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the three month old labour problem at the Zuari agro-chemicals plant in Goa is still continuing; and

(b) if so, what are the reasons therefor and what action Government are taking to resolve the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) and (b) The matter falls in the State sphere. According to a report received from the Government of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, an industrial dispute had arisen in the Zuari Agro-Chemicals Plant, Sanoole, Goa as a

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramanand Yadav.

result of a dispute on personnel matters. The management had declared a lock-out from the 14th July, 1980 which was lifted by them on 27th July, 1980. The workmen have resumed work from 4th August, 1980. The dispute has been referred to an Industrial Tribunal by the State Government for adjudication.

श्री रामानन्द यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि डिसप्यूट का कारण क्या था, वर्कर्स ने स्ट्राइक क्यों किया ?

SHRI PILOO MODY: You must congratulate Mr. Yadav for this short question.

SHRI T. ANJIAH: One Mr. D'Mello, a technician, having superseded more senior technicians...

श्री सभापति : आज तो माडल क्वेश्चन कर दिया ।

श्री टी० अंजैया : Some technicians were superseded. उनको सुपरसीड किया गया जिसके कारण हड़ताल हुई और वह इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को एडजुडिकेशन के लिए रेफर किया गया है ।

श्री रामानन्द यादव : सभापति महोदय, अमूमन यह देखा जाता है कि. . . अब थोड़ा भाषण भी . . .

श्री सभापति : अभी तो आपकी इतनी तारीफ़ की है ।

श्री रामानन्द यादव : सभापति महोदय, आपकी सदइच्छा बहुत जरूरी है । क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रोमोशन के लिए वहां पर क्या कोई नार्म्स हैं ? जब मुलाज्मत दी जाती है, प्रोमोशन दी जाती है, तरजीह दी जाती है तो उसके लिए वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशंस उस कम्पनी के हैं जिनके मातहत कर्मचारियों को प्रोमोशन दी जाती है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को नहीं समझती है कि कोर्ट में जाने से केस लिंगर-आन कर जाएगा अगर यहां ही केस का फैसला हो गया होता तो अच्छा होता । सरकार ने इस बात को टालने के लिए क्या कुछ किया है ? इसको एडजुडिकेशन में क्यों भेजा है ?

श्री टी० अंजैया : यह एक छोटा सा मसला था । इसमें हड़ताल होने की कोई जरूरत नहीं थी । सीनियर्टी और प्रोमोशन के बारे में तमाम चीजें स्टेंडिंग आर्डर में हैं । मगर मैनेजमेंट ने भी गलती की और मजदूर भी हड़ताल पर चले गए । इसलिए जब कभी स्टेंडिंग आर्डर्स का वायलेशन किया जाता है तो प्रोसीक्युशन किया जाता है । इसमें यह कोर्ट को रेफर किया गया है । स्ट्राइक को प्रोहिबिट किया गया है । मैं समझता हूं इससे यह मसला हल हो जाएगा ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने कहा कि स्टेंडिंग आर्डर्स न मानने के क्या उसके खिलाफ काम करने की गलती मैनेजमेंट ने की और फिर हड़ताल करने की गलती मजदूरों ने की । गलती का बयान जो आपने किया उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि अगर स्टेंडिंग आर्डर्स तोड़ने का काम मैनेजमेंट ने किया है तो उसके खिलाफ आपने प्रोसीक्युशन किया है या नहीं ? अगर नहीं किया तो उसका क्या कारण है ?

श्री टी० अंजैया : यह इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया है । जैसे कि मैंने कहा यह मसला स्टेट गवर्नमेंट का था । इसमें डाइरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इनवाल्व्ड नहीं होती है । मगर सरकार की तरफ से हम लोग इस बात को सोच रहे हैं कि अगर कहीं स्टेंडिंग आर्डर्स का वायलेशन होता है तो वहां चाहे कोई भी हो उसका प्रोसीक्युशन करना चाहिए ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : इंडस्ट्रीयल डिसप्यूट्स जो होते हैं वे ट्रिब्यूनल के पास भेजते हैं । ब्रीच आफ रेगूलेशंस का मामला कोई इंडस्ट्रीयल डिसप्यूट नहीं है ।

Industrial disputes between management and industrial wokers

इसको अगर आप भेजे तो मैं समझ सकता हूं लेकिन मैनेजमेंट ने स्टेंडिंग आर्डर्स तोड़ कर यह काम किया है तो उसको इंडस्ट्रीयल ट्रिब्युनल को रेफर करने का कोई सवाल ही नहीं है। This is altogether a different thing under which he can be prosecuted. उसका प्रोसीक्युशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री टी० अंजैया : यह जो मसला था यह प्रोमोशन का था। जो प्रोमोशन मिलना था वह उसको नहीं मिला लेकिन किसी दूसरे जूनियर आदमी को प्रोमोशन दिया गया। ऐसा यूनियन का डिमांड है, इस पर स्ट्राइक चल रही थी। साथ ही साथ डिमांड के बारे में बातचीत आपस में चल रही है।

श्री सभापति : यह तो खत्म हो गया। अब सवाल पूछ रहे हैं कि उनका प्रोसीक्युशन क्यों नहीं किया गया।

श्री टी० अंजैया : यह प्रोसीक्युशन का मसला ऐसा है कि वर्कर्स जब हड़ताल पर जाते है तो वायलेशन हो जाता है। प्रोसीक्युशन का जो मसला है इस के बारे में अभी लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में बातचीत हुई थी। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक चल रही है, लाक-आउट क्लोजर्स हैं। वहां पर जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि चाहे वह मजदूर हो, चाहे मालिक हो, कोई हो अगर वायलेशन करता है तो ...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Sir, I seek your protection.

MR. CHAIRMAN: May I explain to him what you want? Mr. Bagaitkar is making a distinction between the industrial disputes involving the employers and the employees on the one hand and a breach of law resulting in prosecution on the other.

श्री टी० अंजैया : इसमें जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यह स्टेंडिंग आर्डर्स जो बनते हैं, इसमें ज्यादातर मजदूरों को ही नुकसान होता है। अब ट्रेड यूनियन के नेता हैं, अगर हम इसमें रिट्रक्टली जाना शुरू कर देंगे, वर्कर्स को नोटिस देते रहे, शो-काज नोटिस दें और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन और सस्पेंशन यह तमाम चीजे स्टेंडिंग आर्डर्स में अगर स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बना कर चले तो ...

श्री सभापति : तो खराब हो जाएगा।

श्री टी० अंजैया : जी, तो और सवाल उठेंगे।

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Sir, then it is better to abolish the Standing Orders.

MR. CHAIRMAN: I have explained to the hon. Minister what you wanted.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उनको सवाल आपने समझाया और जवाब भी सुना लेकिन अब जजमेंट भी दे दीजिए ?

श्री सभापति : अब मैं जजमेंट क्या दूं ? मेरी जजमेंट मंजूर नहीं होती।

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Sir, kindly give me half a minute and I would explain. The breach of rules on behalf of the management is always condoned Supposing the workers have gone on illegal strike, I do not mind the workers being prosecuted. But when the management indulges in such illegal acts, they condone it. The Minister is saying that many difficulties would arise because of the Standing Orders. Then it is better to abolish the Standing Orders. So long as they are there, you have to act on them.

श्री टी० अंजैया : तमाम फैक्टरीज में जो स्टैंडिंग आर्डर्स बनाए हुए हैं उस पर आप जानते हैं अगर चर्चा शुरू कर देंगे तो और डिस्प्यूट पैदा होंगे, लाक-आऊट होंगे ...

श्री पीलू मोदी : ऐसे खराब कानून बनाते क्यों हो ?

श्री टी० अंजैया : आप लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों ने तमाम फ्रीडम दे रखी थी, हड़ताल करने की फ्रीडम दे रखी थी (*Interruptions*) जब चाहो हड़ताल करने की फ्रीडम दे रखी थी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ?

श्री पीलू मोदी : आप लोगों का क्या मतलब होता है ? क्या आप चार पैर पर चलते हैं ? आप भी दो पैर पर चलते हैं। कम से कम हम लोग तो बोलिए।

(*Interruptions*)

श्री सभापति : अब मैं यह नहीं देखना चाहता कि किस के कितने पांव यहां पर हैं।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Is the Minister aware, as he has rightly stated, that the Standing Orders which have been framed by various State Governments are not in consonance with the spirit of what he has explained and stated just now? I wanted to know whether the Minister would call a Labour Ministers' conference and have a model standing order to meet the needs of the workers so that he may be just able to solve all these problems in the private sector.

MR. CHAIRMAN: I think that is answered.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I am asking whether the Minister is going to call a State Labour Ministers' conference.

श्री टी० अंजैया : क्वेश्चन में मैंने जो जवाब दिया है इसमें अब कोई बात नहीं रही है। क्योंकि ट्रिब्यूनल में चला गया है। अब जो प्रासीक्यूशन करने का सवाल रहा है। जो स्टैंडिंग आर्डर है इसमें मैंने कहा कि प्रासीक्यूशन का जो काम होता है, अगर वर्क के इन्टरेस्ट में होता है तो हम तैयार हैं। अगर मैनेजमेंट पर, एम्प्लेटिज्म पर लीव आदि पर जो दुनिया की बातें हैं अगर उसके ऊपर होता है तो उसमें तो वे रोजाना शो काज नोटिस इश्यू करते है। अब हम चूंकि लेबर लाज बदलना चाहते है इसलिए यह लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में डिस्कस किया गया था, लेबर लीडरों से बातचीत की जा रही है, कंसलटेटिव कमेटी में भी हमने बातचीत की है आनरेबल मेम्बर भी उसमें मौजूद थे, इसके अंदर हम इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की तमाम चीजें बदलना चाहते है ताकि वर्कर्स और मैनेजमेंट में रोजाना झगड़ न रहे बल्कि एक अण्डरस्टेंडिंग रहे और उनके मसले आरबिट्रेशन बोर्ड से हल हों। हम ये कोशिश कर रहे हैं।

A.C. sleeper Coach in the Avadh-Tirhut Mail

*244. SHRI P N. SUKUL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the reasons for not providing a quota of berths/sleepers from Katihar in the Avadh-Tirhut Mail of NER; and

(b) by when Government propose to provide A. C. (sleeper) Coach in the said train which takes almost two days to complete its journey between Lucknow and Gauhati?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) Katihar Station has been provided quotas of second class sleeper berths/seats by A. T. Mail. There is no justification for providing quotas in the first class.

(b) The A.C. second sleeper coach on the Metre Gauge is so far not